

भारत सरकार  
रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
उर्वरक विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 3450

जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025/17 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

**उर्वरकों के उपयोग का आकलन**

**3450. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश भर के विभिन्न राज्यों द्वारा उपयोग किए जा रहे रासायनिक उर्वरकों की मात्रा का कोई आकलन किया है; और
- (ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर महाराष्ट्र के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

**(क) और (ख):** प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन करता है। कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा दिए गए माह-वार और राज्य-वार अनुमानों के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरक पर्याप्त मात्रा में आवंटित करता है।

इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य सहित देश में चालू खरीफ मौसम-2025 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस जैसे उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री के बारे में जानकारी **अनुलग्नक** में दी गई है।

\*\*\*\*\*

यह अनुलग्नक दिनांक 08.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.3450 के उत्तर के भाग (क) और (ख) से संबंधित है।

## खरीफ 2025 के दौरान राज्यवार उर्वरकों की स्थिति (04/08/2025 तक)

आंकड़े एलएमटी में

		यूरिया				डीएपी				एमओपी				एनपीकेएस			
क्र.सं.	राज्य	खरीफ 2025 के लिए मौसमी आवश्यकता	01/04/2025 से 04/08/2025 तक यथानुपातिक आवश्यकता	01/04/2025 से 04/08/2025 तक उपलब्धता	01/04/2025 से 04/08/2025 तक संचयी डीबीटी बिक्री	खरीफ 2025 के लिए मौसमी आवश्यकता	01/04/2025 से 04/08/2025 तक यथानुपातिक आवश्यकता	01/04/2025 से 04/08/2025 तक उपलब्धता	01/04/2025 से 04/08/2025 तक संचयी डीबीटी बिक्री	खरीफ 2025 के लिए मौसमी आवश्यकता	01/04/2025 से 04/08/2025 तक यथानुपातिक आवश्यकता	01/04/2025 से 04/08/2025 तक उपलब्धता	01/04/2025 से 04/08/2025 तक संचयी डीबीटी बिक्री	खरीफ 2025 के लिए मौसमी आवश्यकता	01/04/2025 से 04/08/2025 तक यथानुपातिक आवश्यकता	01/04/2025 से 04/08/2025 तक उपलब्धता	01/04/2025 से 04/08/2025 तक संचयी डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	6.22	3.23	5.93	3.85	2.60	1.47	1.96	1.09	0.70	0.33	0.88	0.48	6.30	3.10	6.20	3.04
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.70	1.09	2.02	1.53	0.28	0.17	0.39	0.15	0.21	0.14	0.31	0.20	0.23	0.17	0.31	0.11
5	बिहार	10.32	5.37	7.72	4.67	2.20	1.73	2.00	1.03	0.50	0.45	0.82	0.24	2.50	2.05	3.43	1.35
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	7.12	6.04	6.62	5.71	3.10	2.71	2.10	1.71	0.60	0.50	0.81	0.59	1.80	1.48	2.36	1.93
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.11	0.08	0.09	0.08	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.02	0.02
12	गुजरात	11.12	7.84	7.87	6.78	3.40	2.84	2.35	1.70	0.45	0.36	0.52	0.25	2.95	2.48	4.78	3.05
13	हरियाणा	10.07	7.34	9.72	9.20	2.83	1.64	1.72	1.35	0.28	0.19	0.37	0.23	0.37	0.21	0.81	0.48
14	हिमाचल प्रदेश	0.33	0.19	0.43	0.28	0.01	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.02	0.01	0.15	0.11	0.16	0.08
15	जम्मू और कश्मीर	0.78	0.69	1.23	0.74	0.22	0.20	0.25	0.18	0.08	0.08	0.15	0.11	0.01	0.01	0.02	0.01
16	झारखंड	1.70	1.10	1.38	0.98	0.55	0.37	0.43	0.30	0.05	0.04	0.05	0.02	0.35	0.29	0.59	0.38
17	कर्नाटक	11.17	7.09	9.25	8.28	4.00	3.09	3.22	2.56	1.30	0.88	1.60	1.03	9.90	6.70	13.24	9.55
18	केरल	0.52	0.36	0.54	0.40	0.12	0.07	0.11	0.07	0.40	0.28	0.36	0.31	0.69	0.46	0.71	0.41
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	17.42	10.45	14.26	12.54	7.50	5.19	4.24	3.32	0.50	0.31	0.64	0.39	5.00	3.35	6.23	4.27
21	महाराष्ट्र	15.52	10.76	14.96	12.11	4.60	3.23	3.35	2.22	1.20	0.72	1.99	1.20	18.00	11.98	21.67	14.67
22	मणिपुर	0.11	0.10	0.11	0.08	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
23	मेघालय	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.07	0.05	0.10	0.09	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	4.30	2.92	4.25	2.72	2.00	1.64	1.72	1.13	0.60	0.44	0.51	0.32	2.40	1.90	2.66	1.57
27	पुदुचेरी	0.07	0.05	0.06	0.05	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.04	0.02	0.05	0.03
28	पंजाब	14.92	13.77	16.19	13.96	2.85	1.63	2.07	1.27	0.50	0.31	0.49	0.23	0.50	0.31	0.91	0.48
29	राजस्थान	10.52	6.60	9.71	7.97	5.10	3.48	2.93	2.02	0.10	0.05	0.12	0.06	1.50	0.84	1.69	0.93
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	4.37	2.80	4.67	3.58	1.40	0.90	1.20	0.72	0.80	0.52	1.02	0.65	4.11	2.67	4.07	2.58
32	तेलंगाना	9.80	6.82	6.87	5.69	2.40	1.94	2.18	1.85	0.55	0.36	0.43	0.17	10.00	7.19	8.17	5.88
33	त्रिपुरा	0.08	0.06	0.12	0.05	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.02	0.02	0.01
34	उत्तराखंड	1.00	0.73	1.05	0.90	0.15	0.14	0.29	0.13	0.02	0.02	0.06	0.02	0.15	0.13	0.10	0.05
35	उत्तर प्रदेश	39.92	24.79	33.58	25.85	10.00	6.82	8.10	4.79	1.25	0.83	1.03	0.39	5.00	2.73	5.04	2.09
36	पश्चिम बंगाल	6.10	4.06	7.01	3.42	1.60	1.01	1.66	0.73	1.00	0.62	1.19	0.49	4.10	2.14	5.68	2.25
<b>अखिल भारत</b>		<b>185.39</b>	<b>124.41</b>	<b>165.80</b>	<b>131.56</b>	<b>56.99</b>	<b>40.35</b>	<b>42.38</b>	<b>28.39</b>	<b>11.13</b>	<b>7.44</b>	<b>13.41</b>	<b>7.40</b>	<b>76.11</b>	<b>50.38</b>	<b>88.93</b>	<b>55.22</b>

1. सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता&gt;आवश्यकता

2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता&gt;बिक्री

3. आंकड़े ifms के अनुसार

